न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 174/2016

उनवानी प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :–22.01.2021

1. महावीर पुत्र मोती जाति खाती निवासी इन्दोदा तहसील दूनी जिला टोंक राज.

– प्रार्थी –

बनाम

1. मनभर पत्नी दुर्गा जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
2. लाला उर्फ अम्बालाल पुत्र जुवारा जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
3. भवंरलाल पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
4. देवीकिशन पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
5. रामलाल पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
6. रामप्रकाश पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
7. कल्ली बेवा सयैद खां जाति मुसलमान निवासी इन्दोदा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
8. बाबूलाल पुत्र श्योनारायण जाति बैरवा निवासी इन्दोदा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
9. दीन मोहम्मद पुत्र नबी खां जाति मुसलमान निवासी कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।
10. नाजगुल खां पुत्र फेज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी टोंक जिला टोंक राजस्थान
11. देवकरण पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
12. फूमा पुत्री मांग्या जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
13. सोहनी पुत्री मांग्या जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
14. मथरा पुत्री मांग्या जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
15. भूरी पुत्री मांग्या जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
16. बरजी बेवा मांग्या जाति गुर्जर निवासी हाडौती तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति:–

श्री महावीर सिंह राठोड़
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 122 खसरा नम्बर 84 रकबा 2.72 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 चाह किता 2 कुल रकबा 2.78 है0 वाके तनग्राम इन्दोदा पटवार हल्का इन्दोदा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पहले अप्रार्थीगण की भूमि आराजी खाता नम्बर 171 खसरा नम्बर 88 रकबा 0.83 है0, खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 89

रकबा 0.66 है0, खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 90 रकबा 1.75 है0, खाता संख्या 116 खसरा नम्बर 91 रकबा 0.94 है0 वाके तनग्राम इन्दोदा पटवार हल्का इन्दोदा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु आराजी खसरा नम्बर 88, 89 व 90, 91 के मध्य बीच मेड़ में से आता–जाता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार दूनी से उक्त रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार हैः– ग्राम इन्दोदा के खसरा नम्बर 84, 85 में जाने हेतु खातेदारी खसरा नम्बर 88, 89 मे से दक्षिणी मेड की तरफ पूर्व में प्रस्तावित किये रास्ते की भूमि का मौका देखा गया। यह रास्ता बिलसपुर परियोजना की मुख्य नहर से निकलने वाले दाखिया माईनर पर बने 15 फीट बने चौडाई वाले सर्विस रोड (ग्रेवल) से मिलाया गया है जिसका खसरा नम्बर 994/88 रकबा 0.09 है0 किस्म गै0 मु0 नहर है एवं सिंचाई विभाग बिसलपुर परियोजना देवली के नाम वर्तमान रिकार्ड में दर्ज है। इसी नहर के खसरा नम्बर 1000/91, 993/116, 992/112 पर बने सर्विस रोड पर लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम इन्दोदा की आबादी में जाने वाली पक्की सडक मिल जाती है। प्रार्थी को अपने खते जर जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 192 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 768 वर्ग मीटर होगा। रास्ते हेतु चाही गई भूमि में ख. नं. 88 दीन मोहम्मद पुत्र नबी खां जाति मुसलमान हि0 17/18 निवासी किरवारी, जिला अलवर, नाजगुल पि0 फेज मोहम्मद जाति मुसलमान हि0 1/18 के नाम दर्ज है जिसमें रास्ते हेतु 108 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर कुल 432 वर्गमीटर है। इसी प्रकार ख. नं. 89 कल्ली बेवा सैयद मौहम्मद खां मुसलमान व बाबूलाल पुत्र श्योनारायण बैरवा के नाम दर्ज है जिसमतें 84 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 336 वर्ग मीटर रास्ता प्रस्तावित है। आवेदक की आराजी ख. नं. 84 रकबा 2.72 व ख. नं. 85 रकबा 0. 06 है0 खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ख. नं. 88, 89 में रास्ता चाहता है। रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हे। प्रस्तावित रास्ते के मध्य से कोई संरचना जैसे

पेड, दिवार नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। अतः मौका रिपोर्ट संलग्न नक्शा ट्रेस, जमाबंदीयो की प्रतिया संलग्न कर रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 84, 85 वाके ग्राम इन्दोदा में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थीगण एक बहुत ही गरीब काश्तकार है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाएगी और अनावश्यक लड़ाई झगडे बढेंगे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 84, 85 वाके ग्राम इन्दोदा में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार प्रस्तावित रास्ते की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.83 है0 किस्म बारानी में प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 108 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 432 वर्ग मीटर एवं ख. नं. 89 रकबा 0.66 है0 में रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर यानि कुल क्षैत्रफल 336 वर्ग मीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 318600/- रू0 प्रति हैक्टेयर है से 768 वर्ग मीटर की गणना कर डीएलसी दर से दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाने के पश्चात दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे। ख. नं. 88 व 89 बैंक में रहन दर्ज हो तो बैंक अपनी ऋण राशि शेष बची भूमि से नियमानुसार वसूल करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को 'उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान कर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली